प्रेस नोट

दिनांक 04.04.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा छेड़छाड़ का वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में अवैध तमंचा/कारतूस के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 03.04.2025 को वादी निवासी थाना राठ ने उपस्थित थाना आकर दी गई तहरीर के माध्यम से बताया कि उसकी बहन (उम्र करीब 17 वर्ष) जो दिनांक 01.04.2025 को घर से मन्दिर जा रही थी तभी मुहल्ला जुगियाना कस्बा व थाना राठ का निवासी उस्मान पुत्र सुब्बी जो पहले से वहाँ मौजूद था, उसकी बहन को देख अश्लील हरकत कर रहा था। वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओ में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग की धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉस्को एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त उस्मान पुत्र सुब्बी के जरिये मुखबिर खास सैना रोड़, दूध फैक्ट्री से पहले राठ में होने की सूचना प्राप्त हुई। मुखबिर खास के बताये हुए स्थान पर पुलिस टीम पहुंची थी कि पुलिस से घिरा हुआ देख अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। जबाबी कार्यवाही में अभियुक्त के बांये पैर के घुटने के नीचे गोली लगी तथा अभियुक्त के पास मौके से ही एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस व 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । घायल अभियुक्त को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राठ भेजा गया । मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/2025 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । प्रकरण में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

उस्मान पुत्र सुब्बी (उम्र करीब 30 वर्ष) निवासी मुहल्ला जुगियाना कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर ।

गिरफ्तार अभि0 का आपराधिक इतिहास-

1. धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉस्को एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर
2. मु0अ0सं0 145/2025 धारा 109 बीएनएस (पुलिस मुठभेड़) व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना राठ जनपद हमीरपुर

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर नाजायज

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज

01 खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.प्र0नि0 रामआसरे सरोज

2.उ0नि0 मनोज पाण्डेय

3.उ0नि0 विनेश गौतम

4.उ0नि0 योगेन्द्र बहादुर सिंह

5.हे0का0 अनिल राजपूत

6.का0 रूपेन्द्र कुमार

7.का0 डेगराज सिंह